

विषय-सूची

- गत वर्षों के हल प्रश्न-पत्र

भाग 1 : सामान्य अध्ययन (General Study)

● इतिहास एवं संस्कृति (History & Culture)	1-104
● खेलकूद, क्रीड़ाएं तथा विभिन्न कलाएं (Sports, Games and the Arts)	1-24
● राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम (National-International Events)	1-16
● मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान (M.P. Objective General Knowledge)	1-16
● कम्प्यूटर ज्ञान	1-24
● General English	1-48

भाग 2 : विधि (Law)

● भारतीय दण्ड संहिता	3-65
● दण्ड प्रक्रिया संहिता	66-117
● भारतीय साक्ष्य अधिनियम	118-160
● व्यवहार प्रक्रिया संहिता	1-25
● भारतीय संविदा अधिनियम, 1872	26-49
● सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम	50-66
● विविध प्रश्न	67-72
● मध्य प्रदेश भू-विधि (M.P. Land Law)	3-16
● मध्य प्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961 (Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961)	17-32
● भारत का संविधान	1-72
● परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act)	1-17
● विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963)	18-20
● परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963)	21-23

पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना

न्यायिक सेवा परीक्षा निम्नानुसार तीन चरणों में होगी—

(1) प्रारम्भिक परीक्षा, (2) मुख्य परीक्षा, (3) साक्षात्कार.

प्रारम्भिक परीक्षा

इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कुल 100 अंक का होगा. इस प्रश्न-पत्र की अवधि 2 घण्टे होगी. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे, जिनमें से एक सही उत्तर का चयन करना होगा. विस्तृत पाठ्यक्रम निम्नानुसार है—

भाग-एक : विधि (कुल प्रश्न संख्या 75)

75 अंक

1. भारत का संविधान (Constitution of India)
2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Civil Procedure Code, 1908)
3. सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882)
4. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872)
5. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963)
6. परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963)
7. मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 (Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961)
8. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959)
9. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act, 1872)
10. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860)
11. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Criminal Procedure Code, 1973)
12. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881)

भाग-दो :

विषय—	प्रश्नों की संख्या	निर्धारित अंक
(1) सामान्य ज्ञान	15	15
(2) कम्प्यूटर ज्ञान	05	05
(3) अंग्रेजी ज्ञान	05	05

मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा में कुल चार प्रश्न-पत्र होंगे. जिसमें से प्रत्येक 50 अंक के प्रश्न-पत्र होंगे. प्रथम व द्वितीय प्रश्न-पत्र एक साथ तथा तृतीय व चतुर्थ प्रश्न-पत्र एक साथ दिए जाएंगे. मुख्य परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम निम्नानुसार है—

(अ) प्रथम व द्वितीय प्रश्न-पत्रों (दोनों को मिलाकर)—अवधि तीन घंटे की होगी, जिसका पाठ्यक्रम अग्रानुसार है—

प्रथम प्रश्न-पत्र : निर्धारित अंक-50

1. भारत का संविधान (Constitution of India)
2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Civil Procedure Code, 1908)
3. सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882)
4. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872)
5. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963)
6. परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963)

द्वितीय प्रश्न-पत्र : निर्धारित अंक-50

1. मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 (Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961)
2. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959)
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act, 1872)
4. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860)
5. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Criminal Procedure Code, 1973)
6. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881)

(ब) तृतीय व चतुर्थ प्रश्न-पत्रों (दोनों को मिलाकर)—अवधि तीन घण्टे की होगी.

तृतीय प्रश्न-पत्र : निर्धारित अंक-50

- | | | |
|------------------------------------|---|--------|
| 1. लेखन (150 शब्द) सामाजिक विषय पर | — | 15 अंक |
| 2. लेखन (150 शब्द) विधिक विषय पर | — | 10 अंक |
| 3. संक्षिप्तिकरण लेखन | — | 10 अंक |
| 4. हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद | — | 15 अंक |

नोट—1. उपर्युक्त—1. लेखन, 2. लेखन तथा 3. संक्षिप्तिकरण तीनों के उत्तर एक ही भाषा हिन्दी या अंग्रेजी में लिखने होंगे.

2. संक्षेपण (Summerization) लेखन के लिए वादपत्र (Plaint), वादोत्तर (Written Statement) अथवा आरोप पत्र (Charge-sheet)/परिवाद पत्र (Complaint) की कॉपी दी जा सकेगी और अभ्यर्थी से उसे लगभग 150-200 शब्दों में संक्षिप्तीकरण के लिए कहा जा सकेगा.

चतुर्थ प्रश्न-पत्र : निर्धारित अंक-50

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. निर्णय/आदेश (सिविल) लेखन | 30 अंक |
| 2. निर्णय/आदेश (दांडिक) लेखन | 20 अंक |

नोट—1. उपर्युक्त समस्त प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होंगे.

2. सभी प्रश्न-पत्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है. यदि किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी, तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा.

साक्षात्कार

मुख्य परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा. साक्षात्कार के लिए 25 अंक निर्धारित हैं. किसी अभ्यर्थी को अंतिम चयन सूची में शामिल होने की पात्रता के लिए साक्षात्कार में कम-से-कम 5 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा.